UPSI010108982023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

सत्र परीक्षण सं0—2305 / 2023

उत्तर प्रदेश राज्य प्रति अनिल उर्फ खिल्लू आदि

अपराध सं0—240 / 2023
अन्तर्गत धारा—307, 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना—कमलापुर, जिला—सीतापुर।

आरोप

मैं, मनोज कुमार—III, सत्र न्यायाधीश, सीतापुर एतद् द्वारा आप अभियुक्तगण **अनिल उर्फ खिल्लू, बड़े उर्फ अनुज व बुद्दन उर्फ अरविन्द** को निम्न प्रकार आरोपित करता हूँ:—

1— यह कि दिनांक 07—08—2023 को समय 18 बजे शाम स्थान बहद ग्राम बेहड़ा सुल्तानपुर अन्तर्गत थाना कमलापुर जिला सीतापुर में आप लोगों ने अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसारण में इस आशय, ज्ञान व ऐसी परिस्थिति में वादी मुकदमा गोविन्द प्रसाद के पुत्र विनोद को लाठी डंडो व लात घूसों से जान से मारने की नियत से मार पीट कर चोटे कारित किया। यदि चोटो से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 307 / 34 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2— यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा गोविन्द प्रसाद, वादी की पत्नी शीला, पुत्र विनोद व बहूँ रानी को लाठी डंडा व लात घूसों से स्वेच्छापूर्वक मार कर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323 / 34 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3— यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के घर में मार पीट करने के आशय से घुस कर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 452 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4— यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा गोविन्द प्रसाद व उसके परिवार के लोगों को गन्दी—गन्दी गालियॉ देकर अपमानित करके प्रकोपित किया, जिससे लोक शान्ती भंग होने की सम्भावना पैदा हुई। इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5— यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा गोविन्द प्रसाद व उसके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा कृत्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 में दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद् द्वारा निदेर्शित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिए आपका इस न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाय।

(मनोज कुमार—III)
सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।

दिनांकः06—91—2024

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया तथा समझाया गया अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

(मनोज कुमार—III)
सत्र न्यायाधीश
सीतापुर।

दिनांकः06—01—2024

नीरज

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

सत्र परीक्षण सं0–2305/2023

उत्तर प्रदेश राज्य प्रति अनिल उर्फ खिल्लू आदि

अपराध सं0–240/2023

अन्तर्गत धारा–307, 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–कमलापुर, जिला–सीतापुर।

06–01–2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **अनिल उर्फ खिल्लू, बड़े उर्फ अनुज व बुद्दन उर्फ अरविन्द** जेल से तलब होकर न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307, 452, 323, 504 व 506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियोजन की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 ने केस को प्रारम्भ करते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए उन प्रस्तावित साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया, जिससे वह अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपों को साबित करेगे।

आरोप विरचित करने के बिन्दु पर अभियुक्तगण व अभियोजन पक्ष को सुना गया।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्को को सुनने एवं पत्रावली व केसडायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307/34, 452, 323/34, 504, 506 भा0दं0सं0 के आरोप हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तदनुसार अभियुक्तगण को आरोपित किया जाय।

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्तानुसार आरोप बनाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 19–01–2024 को पेश हो। गवाहों को अभियोजन पक्ष जरिए सम्मन तलब करें।

(मनोज कुमार–III)

सत्र न्यायाधीश

दिनांकः06–01–2024 सीतापुर।

Digitally signed by Manoj Kumar III
Date: 2024.01.06 16:46:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court sitapur